<u>ई–मेल / डाक</u>
आवश्यक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ.6(1)(1)रोल्स / निर्वा / 2013 / 549 जयपुर, दिनांकः 21.02.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2013 –विधान सभा आम चुनाव से पूर्व मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन एवं नये मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा की आपको विदित है कि अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन, सृजन आदि के विषय में प्रस्ताव तैयार किये गये थे तथा आयोग के अनुमोदन के पश्चात् तद्नुसार दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 21 जनवरी, 2013 को किया गया है। राज्य में वर्तमान में कुल 45334 मतदान केन्द्र सृजित है।

2. जैसा कि आपको विदित है कि राज्य में इस वर्ष के अन्त में विधानसभा के लिए आम चुनाव सम्पन्न होगें। **इन आम चुनावों से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का पुनः विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जायेगा, अर्थात् इस वर्ष मतदाता सूचियो का 2 बार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है।** उक्त विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण सम्भवतः माह जुलाई, 2013 में प्रारम्भ किया जायेगा, जिसके कार्यक्रम के विषय में यथासमय आपको सूचित किया जायेगा।

2.1 चूँकि विधानसभा आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है इसलिए यह आवश्यक है कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान मे अधिसूचित शत–प्रतिशत मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाए तथा ऐसे मतदान केन्द्र जहॉ मतदाताओं की संख्या अधिक हो गयी है उन्हें विभाजित कर नए मतदान केन्द्र बनाए जाए। इसके साथ–साथ आवश्यकता होने पर भवन परिवर्तन या विशेष परिस्थितियों में मतदान केन्द्र को पुनर्गठित किया जाए तथा इन पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए जिससे कि तद्नुसार माह जुलाई, 2013 में प्रस्तावित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा सके।

3. आपका ध्यान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की पुस्तिका–2008 के अध्याय– IV के पैरा 26 की ओर आकर्षित किया जाता है। इस पैरा में यह प्रावधान है कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाएगा तथा

मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करेंगे ताकि तद्नुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जा सके। पुस्तिका के अध्याय–IV के पैरा 26 में मतदान केन्द्रों के गठन के विषय में निम्न दिशा–निर्देश है।

3.1 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 300 मतदाताओं की संख्या वाले राजस्व ग्राम में पृथक से मतदान केन्द्र स्थापित किया जाए। मतदान केन्द्र पोलिंग ऐरिया में ही स्थापित किया जाए तथा मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक नहीं हो।

3.2 शहरी क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के समय मतदाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन किया जाए। शहरी क्षेत्र में प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए मतदाताओं की संख्या 1200 निर्धारित की गयी है तथा पुनर्गठन के समय यह भी अपेक्षा की गयी है कि मतदान केन्द्र संकीर्ण क्षेत्र में न हो।

3.3 मतदाताओं की संख्या के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों की स्थापना के विषय में आयोग के यह भी निर्देश है कि एक ही भवन में 4 से अधिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1 ही भवन में 2 से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किये जाए।

3.4 भारत निर्वाचन आयोग ने शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक मतदान केन्द्र के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र के विषय में यह निर्देश दिये है कि मतदान केन्द्रों के अन्तर्गत सुव्यस्थित अनुभाग बनाए जाए। ग्रामीण क्षेत्र में मतदान केन्द्र का एरिया छोटा है तो प्रत्येक ढाणी के लिए अलग से अनुभाग बनाए जाए। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में प्रत्येक गली, मौहल्ले, कॉम्पलेक्स, बहुमंजिला ईमारतो के लिए पृथक से अनुभाग बनाए जाए।

4. अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों के भागवार ऑकड़े आपके पास उपलब्ध है, जिसकी की साफ्टकॉपी अभी हाल ही में विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 423 दिनांक 12.2.2013 द्वारा आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है। अतः उपरोक्त पैरा में दिये गये निर्देशों एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव तैयार किये जाने है। इस हेतु सर्वप्रथम मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है।

5. **मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन** – मतदान केन्द्रों के पुर्नगठन से पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर प्रत्येक मतदान केन्द्र का भौतिक रूप से सत्यापित किया जायेगा। भौतिक सत्यापन के विषय में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जायेगी।

5.1 **मतदान केन्द्रो का भौतिक सत्यापन का कार्य स्वयं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।** इस कार्य हेतु परिशिष्ट–1 में सूचना अंकित की जाएगी जो कि इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। कृपया प्रपत्र–1 का भौतिक सत्यापन करने से पूर्व भली प्रकार से अवलोकन कर लें क्योंकि भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर ही पुनर्गठन आदि के विषय में कार्यवाही की जायेगी। चूँकि इस वर्ष विधानसभा के लिए आम चुनाव होगें इसलिए यह आवश्यक है कि भौतिक सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान केन्द्रों पर विकंलाग मतदाताओं के लिए रैम्पस बने हुए है या नहीं। यदि रैम्पस नहीं बने हुए है तो विशेष टिप्पणी के कॉलम में तद्नुसार सूचना अंकित कर ली जाए जिससे कि इस विषय में बाद में कार्यवाही की जा सकें।

5.2 भौतिक सत्यापन की कार्यवाही के दौरान यह सूचना भी संकलित की जाए कि मतदान केन्द्र भवन मे मतदाताओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाएँ जैसे छाया, पानी, शौचालय आदि बने हुए है या नहीं।

5.3 चूँकि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में वर्तमान में स्थापित सभी मतदान केन्द्रों के लोगीट्टयूट एवं लेटीट्यूट को मापकर उक्त सूचना आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है इसलिए यदि भवन परिवर्तन के प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं तो उसी समय नये भवन के लोगीट्यूट एवं लेटीट्यूट को भी मापने की कार्यवाही कर ली जाए, जिससे कि आयोग के अनुमोदन के पश्चात नये मतदान केन्द्रों के लोगीट्यूट एवं लेटीट्यूट को भी परिवर्तित किया जा सके।

5.4 मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य 15 मार्च, 2013 तक आवश्यक रूप से पूर्व कर लिया जाए। भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण होने पर सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को इस विषय में तुरन्त फैक्स/ईमेल से सूचित करेंगे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी दिनांक 18 मार्च, 2013 तक विभाग को सूचित करेंगे कि सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन की कार्यवाही कर ली गई हैं।

6. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर पैरा 2 में दिये गये निर्देशों के अनुसार भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट की समीक्षा करेगें तथा मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव तैयार करते समय इसको ध्यान में रखेगें। जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व मतदान केन्द्रों का व्यापक रूप से पुनर्गठन कर नये मतदान केन्द्र स्थापित किये है, इसके फलस्वरूप राज्य में कुल 2597 मतदान केन्द्र बढे है, इसलिए जहॉ आवश्यक हो वही पर नए मतदान केन्द्र प्रस्तावित किया जाए। आयोग के दिशा–निर्देश एवं इसी वर्ष मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन करने के फलस्वरूप वर्तमान में आगे दिये जा रहे बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किये जाए।

6.1 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे मतदान केन्द्र जिसमें 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक हो गयी है उनको विभक्त कर 2 मतदान केन्द्र प्रस्तावित किए जाए। नया मतदान केन्द्र उसी भवन में स्थापित किया जाए जिसमे मूल मतदान केन्द्र स्थापित है, जिससे की मतदाताओं में किसी प्रकार की भ्रॉति नहीं रहें। मतदान केन्द्र को विभक्त करते समय सुव्यस्थित रूप से अनुभागों का विभाजन किया जाए जिससे कि सुगठित मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव तैयार किये जा सके। कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस के आधार पर विभाग के पास यह सूचना उपलब्ध है कि इस प्रकार के कुल 500 मतदान केन्द्र है जहॉ मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक है। प्रस्ताव तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए।

6.2 **मतदान केन्द्रों के गत पुर्नगठन के समय अधिकांश मतदान केन्द्रों को पुर्नगठित किया गया है। वर्तमान में मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव तैयार करते समय पुर्नगठन नहीं किया जाना है। पुर्नगठन केवल उन्ही विशेष परिस्थितियों में किया जाए जहॉ कि भौगोलिक दृष्टि से कोई अनुभाग किसी दूसरे मतदान केन्द्र में जुड़ गया है और इसके फलस्वरूप मतदाताओं को कठिनाई हो रही है, या ऐसी स्थिति हैं जहॉ कि एक ही अनुभाग में रहने वाले मतदाताओं के दो अलग – अलग मतदान केन्द्र में नाम सम्मलित है। अतः ऐसी स्थिति में उनको एक ही स्थान पर लाने के फलस्वरूप पुर्नगठन के प्रस्ताव तैयार किये जा सकते है।**

6.3 ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान ऐसे मतदान केन्द्र जहॉ पर मूल मतदान केन्द्र में 2–3 राजस्व ग्राम सम्मिलित है तथा इन ग्रामों में किसी राजस्व ग्राम विशेष में 300 से

अधिक मतदाता हो गये है तो मूल मतदान केन्द्र की संख्या को ध्यान में रखते हुए 300 मतदाता की संख्या वाले राजस्व ग्राम के लिए पृथक से मतदान केन्द्र स्थापित किया जा सकता है।

6.4 ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में मतदान केन्द्र स्थापित करते समय यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी स्थिति में मतदाता को मतदान केन्द्र पर पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े।

6.5 भौतिक सत्यापन के समय यदि यह पता चले कि विद्यमान मतदान केन्द्र का भवन क्षतिग्रस्त हो गया है या किसी अन्य कारण से मतदान केन्द्र का भवन परिर्वतन किया जाना है तो इस विषय में प्रस्ताव तैयार करते समय संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तद्नुसार प्रमाणीकरण किया जायेगा। बिना किसी कारण से मतदान केन्द्र के भवन परिर्वतन के किसी भी प्रकार के प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगें।

6.6 भवन परिवर्तन उस स्थिति में भी किया जा सकता है यदि मतदान केन्द्र भूतल पर स्थापित नहीं होकर प्रथम तल पर स्थापित है। इस विषय में यह ध्यान रखा जाए कि अब से कोई भी मतदान केन्द्र प्रथम तल पर स्थापित नहीं किया जाए यदि अभी भी कोई मतदान केन्द्र प्रथम तल पर स्थापित है तो उसे भूतल पर स्थापित करने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाए।

6.7 मतदाताओं की सुविधा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव तैयार करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि मतदान केन्द्र का भवन संकीर्ण स्थान पर तो नहीं है। यदि मतदान केन्द्र संकिर्ण स्थान पर है तो उस स्थिति में भवन परिवर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते है।

7. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा उपरोक्त विवरण के अनुसार जैसा कि प्रारम्भिक तौर पर मतदान केन्द्रों के विभाजन या विशेष परिस्थितियों में पुर्नगठन के प्रस्ताव अथवा भवन परिवर्तन के प्रस्ताव तैयार किये जायेगें तो प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व विशेष वाहक के साथ भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट पर चर्चा करने हेतु विभाग में भेजेगें, जिसमें प्रारम्भिक स्तर पर चर्चा कर नये मतदान केन्द्र के गठन के विषय में निर्देशित किया जा सके जिससे बाद में मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव अनावश्यक रूप से लौटाए जाने की संभावना से बचा जा सके।

8. विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य में कुछ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे है जिसमें मतदान केन्द्रों में वर्तमान में मतदाताओं की संख्या 20 से लेकर 98 के बीच में है। ऐसे मतदान केन्द्रों के मतदाताओं को समीप के मतदान केन्द्र में सम्मिलित कर इन मतदान केन्द्रों में समाप्त किया जा सकता है। यदि मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इन मतदान केन्द्रों को अभी भी रखा जाना है तो भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट में तद्नुसार टिप्पणी अंकित की जाए। इन मतदान केन्द्रों की सूची प्रपत्र–7 के अनुसार है।

9. भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर मतदान केन्द्रों के विभाजन पुनर्गठन एवं भवन परिवर्तन के प्रस्ताव तैयार कर जिला स्तर पर स्थायी समित की बैठक आमंत्रित कर चर्चा की जाए तथा विभाग को प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में (कम्प्युटर से ए–4 साईज के पेपर पर टंकित कर) तैयार किये जायेगें। इस विषय में विवरण निम्न प्रकार से है।

9.1 प्रपत्र–2 के अनुसार प्रपत्र में पुनर्गठन के प्रस्ताव दो प्रतियों में (हिन्दी एवं अंग्रेजी में)

9.2 रिटर्निंग ऑफिसर की पुस्तिका 2009 के अध्याय II के पैरा 5.1 के अनुसार प्रपत्र 3 की सूचना दो प्रतियों में (हिन्दी एवं अंग्रेजी में)

9.3 पुर्नगठित मतदान केन्द्रों का नजरी नक्शा (दो प्रतियो में)

9.4 रिटर्निंग ऑफिसर की पुस्तिका 2009 के अध्याय II के पैरा 6.7 के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची का संवीक्षा पत्रक (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) प्रपत्र–4

9.5 मतदान केन्द्रों की सूची के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र प्रपत्र–5 के अनुसार सूचना दो प्रतियों में । (हिन्दी एवं अंग्रेजी में)

9.6 मतदान केन्द्रों का भवन परिर्वतन होने की स्थिति में तद्नुसार प्रस्ताव (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) स्पष्ट कारणों/ औचित्य के साथ पृथक से।

9.7 मतदान केन्द्रों के उक्त प्रस्ताव के संबधं में जिला स्तर पर गठित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों/लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की स्थाई समिति से विचार–विमर्श किया जाना आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी इसके पश्चात अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्ताव भिजवाऐं।

9.8 प्रस्ताव तैयार करते समय प्रस्तावित मतदान केन्द्रों/भागों के मतदाताओं के क्षेत्र/परिक्षेत्र का विवरण/मतदाताओं की क्रम संख्या एवं मतदान केन्द्रों का नजरी नक्शा जिसमें क्षेत्र/परिक्षेत्र अंकित किए गए हों, प्रस्तावों के साथ शामिल किये जाए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अमुक–अमुक मतदान केन्द्र/भाग में किन–किन क्षेत्र/परिक्षेत्र के मतदाता सम्मिलित है। उपरोक्त कार्यवाही करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी भाग में किसी क्षेत्र विशेष के मतदाता छूट नहीं जाए।

9.9 उपरोक्त प्रकार से मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं भवन परिवर्तमन के प्रस्ताव तैयार करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करेगें कि प्रस्ताव उपरोक्त निर्देशों के अनुसार है। उक्त प्रस्ताव दिनांक 30 मार्च, 2013 तक आवश्यक रूप से विभाग को प्रेषित किए जाए। विभाग स्तर पर इनका परीक्षण कर भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। विभाग को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्ताव इस कार्य के जानकर विशेष वाहक के साथ भेजे जाए।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.6(1)(1)रोल्स/निर्वा/2013/ जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि : –

1. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) निर्वाचन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पालनार्थ।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।